मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6-1/2016/एक/9 भोपाल, दिनांक २/८/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की "स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17"

--0--

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2015-16 के लिये दिनांक 15.4.2015 से 15.5.2015 तक की अवधि के लिये प्रतिबंध शिथिल किया गया था । परिणामतः वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है ।

2/ राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2016-17 के लिये स्थानांतरण संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था हेतु दिनांक 1 अगस्त, 2016 से 16 अगस्त, 2016 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया जाता है:-

1. जिला स्तर के संवर्गो का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन उपरांत विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे, जो कि अत्यावश्यक एवं न्यूनतम संख्या में होंगे ।

//2//

स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित है, अत: उनके द्वारा अपनी स्थानांतरण नीति के अनुरूप उक्त अवधि में स्थानांतरण किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पर यह नीति लागू नहीं होगी ।

पुलिस विभाग पर भी यह नीति लागू नहीं होगी।

2. विभागीय स्तर पर जिलों के मध्य यदि कोई स्थानांतरण करना आवश्यक है, तब उसका प्रस्ताव विभाग स्तर पर तैयार किया जाकर, समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर आदेश जारी किये जा सकेंगे।

3/ शेष व्यवस्था पूर्णत: वर्ष 2015-2016 हेतु जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी ।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 6-1/2016/एक/9 भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2016

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त,म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ.अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग